रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

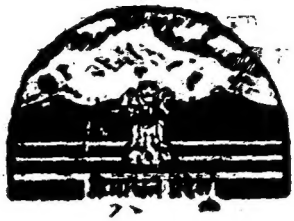

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 20 जुलाई, 1985/29 आषाढ़, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

आदेश

शिमला-2, 28 जून, 1985

संख्या इ०एक्स०एन०-एफ०(13)-5/83.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एण्टरटेनमैन्ट ड्यूटी ऐक्ट, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 12 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश में समस्त सरकस प्रदर्शनों को मनोरंजन शुल्क का संदाय करने से एक वर्ष की अवधि के लिए तुरन्त छूट प्रदान करते हैं ।

[*Authoritative English text of order No. EXN-F*(13)-5/83 *dated* 28-6-1985 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*]

ORDER

Shimla-2, the 28th June, 1985

No. EXN-F (13)-5/83.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 12 of the Himachal Pradesh Entertainments Duty Act, 1968 (Act No. 12 of 1968), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to grant exemption from the payment of entertainment duty to all circus shows in Himachal Pradesh for a period of one year with immediate effect.

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 6 जुलाई, 1985

संख्या ई0 एक्स0 एन0-एफ0(10)-5/81.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 24) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (मुख्यालय) को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश की सहायता करने के लिए नियुक्त करते हैं और आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में उसको आवंटित मामलों की बाबत समस्त राज्य के लिए उक्त अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) के अधीन उसको तुरन्त आयुक्त की शक्तियां प्रदत्त करते हैं ।

[*Authoritative English text of H.P. Govt. Notification No. EXN-F* (10)-5/81, *dated* 6-7-1985 *as required under Article* 348(3) *of the Constitution of India*].

Shimla-2, *the 6th July*, 1985

No. EXN-F(10)-5/81.—In exercise of the powers conferred upon him by s. b-sections (1) and (2) of section 3 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (Act No. 24 of 1968), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint Deputy Excise and Taxation Commissioner (Headquarters), Himachal Pradesh, to assist the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, for carrying out the purposes of the said Act and to confer upon him the powers of the Commissioner exercisable by him under sub-section (1) of section 31 of the said Act, for the entire State in respect of the cases specifically allocated to him by the Commissioner with immediate effect.

शिमला-171002, 6 जुलाई, 1985

संख्या ई0 एक्स0 एन0-एफ0(10)-5/81.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एन्टरटेनमैन्ट टैक्स (सिनेमाटोग्राफ शो) ऐक्ट, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को, जिले के अपने-अपने क्षेत्राधिकार में जिसमें वे तैनात हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में, आयुक्त की सहायता करने के लिए नियुक्त करते हैं ।

[*Authoritative English text of H.P. Govt. Notification No. EXN-F*(10)-5/81, *dated* 6-7-1985 *as required under Article* 348(3) *of the Constitution of India*].

Shimla-2, *the 6th July*, 1985

No. EXN-F(10)-5/81.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Entertainments Tax (Cinematograph Shows) Act, 1968 (Act No. 11 of 1968), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the Assistant Excise and Taxation Commissioners to assist the Commissioner for carrying out the purposes of the said Act within the territorial jurisdiction of the District to which they are posted.

शिमला-171002, 6 जुलाई, 1985

संख्या ई0एक्स0एन-0एफ0(10)-5/81.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 24) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को, जिले के अपने-अपने क्षेत्राधिकार में जिसमें वे तैनात हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश की सहायता करने के लिए नियुक्त करते हैं और उनको उक्त अधिनियम की धारा 2(क) के अधीन निर्धारण प्राधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करते हैं ।

[*Authoritative English text of H. P. Govt. Notification No. EXN. F*(10)-5/81, *dated* 6-7-85 *as required under Article* 348 (3), *of the Constitution of India*].

Shimla-2, *the 6th July*, 1985

No. EXN.F(10)-5/81.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (Act 24 of 1968), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the Assistant Excise and Taxation Commissioners to assist the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh for carrying out the purposes of the said Act and to confer upon them the powers of Assessing Authority as defined under section 2 (*a*) of the said Act within the territorial jurisdiction of the District to which they are posted.

शिमला-171002, 6 जुलाई, 1985

संख्या ई0एक्स0एन0-एफ0(10)-5/81.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पैसेंजर एण्ड गुडस टैक्सेशन ऐक्ट, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को जिले के अपने-अपने क्षेत्राधिकार में जिसमें वे तैनात हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में, आयुक्त की सहायता करने के लिए नियुक्त करते हैं।

[*Authoritative English text of H. P. Govt. Notification No. EXN. F.*(10)-5/81, *dated* 6-7-85 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

Shimla-2, *the 6th July*, 1985

No. EXN.F(10)-5/81.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the Assistant Excise and Taxation Commissioners to assist the Commissioner for carrying out the purposes of the said Act within the territorial jurisdiction of the District in which they are posted.

शिमला-171002, 6 जुलाई, 1985

संख्या ई0एक्स0एन0-एफ0(10)-5/81.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ऐंटरटेनमैन्ट डियूटी ऐक्ट, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को, जिले के अपने-अपने क्षेत्राधिकार में जिनमें वे तैनात हैं, मनोरंजन कर अधिकारियों के रूप में कार्य करने और उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में, आयुक्त की सहायता करने के लिये नियुक्त करते हैं।

आदेश द्वारा,
एस0 एस0 सिद्धू,
सचिव।

[*Authoritative English text of H.P. Government notification No. EXN.F* (10)-5/81, *dated* 6-7-85 *as required under Article* 348(3) *of the Constitution of India*].

Shimla-2, *the 6th July*, 1985

No. EXN.F(10)-5/81.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Himachal Pradesh Entertainments Duty Act, 1968 (Act No. 12 of 1968), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the Assistant Excise and Taxation Commissioners to act as Entertainment Tax Officers within the territorial jurisdiction of the district in which they are posted and to assist the Commissioner for carrying out the purposes of the said Act.

S. S. SIDHU,
Secretary.

FINANCE (REGULATIONS) DEPARTMENT

OFFICE MEMORANDUM

Shimla-2, the 25th April, 1985

No. Fin (C) A (3)-1/85.—In enclosing herewith a copy of Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms notification No. 26 (10) Pension/Unit/84, dated the 1st December, 1984, the undersigned is directed to say that the amendment shall also apply to State Government employees of Himachal Pradesh. This is in continuation of this Department's Office Memorandum No. Fin (C) 1 (3)-2/82, dated 28th November, 1984.

S/-
Deputy Secretary.

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS (KARMIK AUR PRASHASNIK SUDHAR VIBHAG)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 1984

No. 26(10)-Pension/Unit/84.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Pensions Act, 1871 (23 of 1871), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983, namely:—

1. (1) These rules may be called the Payment of Arrears of Pension (Nomination) (Second Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983, in rule 5, in sub-rule (1) for the words "one year" the words "one year and six months" shall be substituted.

S. R. AHIR,
Deputy Secretary to the Government of India.

Note.—The payment of Arrears of Pension (Nomination) rules, 1983, were published as S.O. No. 3478, dated 10-9-1983. Subsequently amended vide S.O. No. 789 dated 17-2-1984.

पंचायती राज विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 9 जुलाई, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(4)-56/76-7.—अधिसूचना संख्या 28-3/69-पंच, दिनांक 1 जुलाई, 1972, को आंशिक रूप में संशोधित करके राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 तथा 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला शिमला के नारकण्डा विकास खण्ड के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षत्रों का पुनर्गठन/विभाजन करके उनके लिए

निम्न प्रकार से ग्राम सभाओं की स्थापना करते हैं :—

क्रम सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	को0 नं0 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	को0 सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जन होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्यावास	कोष्ठ सं0 5 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	कोटगढ़	1. कोटगढ़ 2. मैलन 3. स्कुन्दली-चिमला 4. मानन	1. मैलन 2. स्कुन्दली-चिमला	मैलन	कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्राम ।	कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्रामों को छोड़ कर, कोष्ठ सं0 3 में वर्णित शेष दो गांव ग्राम सभा कोटगढ़ में ही रहेंगे ।

शिमला-2, 9 जुलाई, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(4)-52/76-V.—अधिसूचना संख्या 36-62/पंच-हमीरपुर, दिनांक 29 नवम्बर, 1972 को आंशिक रूप में संशोधित करके राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 तथा 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं जिला हमीरपुर के भौरंज विकास खण्ड के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन/विभाजन करके उनके लिए निम्न प्रकार से ग्राम सभाओं की स्थापना करते हैं:—

क्रम सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	को0 नं0 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	को0 सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जन होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्यावास	को0 सं0 5 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	ताल	1. टिक्कर कटोचा 2. ठाना 3. डिढवीं 4. गदरयाना 5. समराला 6. चौकी कनकटी 7. धरवासी 8. बालू 9. झमनेड़ 10. दियोट	1. टिक्कर कटोचा 2. ठाना 3. डिढवीं 4. गदरयाना 5. समराला 6. चौकी कनकटी	टिक्कर डिढवीं (मुख्यावास टिक्कर कटोचा)	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम	को0 सं0 4 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर को0 सं0 3 में अंकित शेष 4 ग्राम, ग्राम सभा ताल में ही रहेंगे ।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत स्थापित विकास खण्ड हमीरपुर की ग्राम सभा क्षत्र "टीका चौकी" के नाम को बदल कर "कुठेड़ा" रखने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

शिमला-2, 10 जुलाई, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(4)-11/76-II.—हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 154 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, पंचायत समिति आनी, जिला कुल्लू के अधिक्रमण (supersede) करन का सहर्ष आदेश देते हैं क्योंकि यह पंचायत समिति गणपूर्ति (quorum) के अभाव के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के अधीन सौंपे गए अपन कर्तव्यों को निभाने में सक्षम नहीं है ।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ऊपर कथित अधिनियम की धारा 155 (1) (बी) में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त पंचायत समिति के पुनः स्थापना तथा कार्य आरम्भ करने के समय तक उप-सम्भागीय अधिकारी (नागरिक), आनी, जिला कुल्लू की पंचायत समिति आनी की पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने तथा उन्हें निभाने हेतु नियुक्त करते का भी सहर्ष आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

आदेश

शिमला-2, जुलाई, 1985

संख्या पी0सी0एच0एच0ए0(5)27/82.—क्योंकि विकास खण्ड अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा द्वारा प्रारम्भिक जांच करने पर श्री महेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत घुरकाल, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा को पंचायत रिकार्ड पंचायत घर से उठाकर अपने घर ले जाने तथा उसका अंकेक्षण न करवाने के लिए दोषी पाये गये हैं और यह कि प्रधान को पंचायत के रिकार्ड का चार्ज नियमानुसार पंचायत सचिव को सौंपने हेतु विकास खण्ड अधिकारी, देहरा द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया था परन्तु प्रधान ने न तो रिकार्ड सौंपा और न ही उक्त नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया ।

और यह कि विकास खण्ड अधिकारी, देहरा की सूचनानुसार प्रधान कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने में टाल मटोल कर रहा है । और क्योंकि उक्त आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत जांच कराई जानी आवश्यक है ।

अतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश उक्त आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं । जांच अधिकारी इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट इस विभाग को जिलाधीश कांगड़ा की टिप्पणियों सहित एक मास के भीतर प्रस्तुत करेंगे ।

अवर सचिव,
पंचायत ।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 11 जुलाई, 1985

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5)-21/84.—क्योंकि श्री दौलत राम, प्रधान ग्राम पंचायत बागड़ी, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला को जांच के पश्चात उपायुक्त शिमला ने प्रधान को निम्नलिखित आरोपों के लिए दोषी ठहराया है कि;

यह कि प्राथमिक पाठशाला भवन दरगोट के निर्माण हेतु मु0 4000/- रुपये की राशि रिलीज की गई जिसे निर्माण कार्य पर व्यय न करके उक्त प्रधान ने इस राशि को निजी प्रयोग में लाया;

यह कि माध्यमिक पाठशाला भवन बागड़ी के निर्माण हेतु सूखा राहत योजना के अन्तर्गत मु0 10,500 रुपये की राशि का भवन निर्माण न करके निजी प्रयोग किया;

यह कि पंचायत की कैश बुक के मुताबिक मु0 177/- रुपये की पंचायत निधि के रूप में, मु0 205/- रुपये की राशि पेयजल योजना शिवपुरी के निर्माण हेतु तथा मु0 41/- रुपये की राशि प्राथमिक पाठशाला भवन बागड़ी के निर्माण हेतु राशि का दुरुपयोग किया;

यह कि मु0 1504/- रुपये मूल्य के 8 क्विंटल चावल, मु0 326.40 रु0 मूल्य की कणक जो प्राथमिक पाठशाला भवन दरगोट के निर्माण हेतु मु0 3572 रुपये के चावल और मु0 2142.40 रुपये की कणक जो माध्यमिक पाठशाला हेतु प्रधान को दी गई थी, का हिसाब पंचायत को देने में असफल रहे और न ही उन्होंने पंचायत कैश बुक में कोई स्पष्टीकरण दिया;

और क्योंकि उक्त आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, महोदय, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 की उपधारा (2) के अन्तर्गत श्री दौलतराम, प्रधान, ग्राम पंचायत बागडी, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए जिला पंचायत अधिकारी, शिमला को जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं । वह अपनी रिपोर्ट जिलाधीश शिमला के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित कर देंगे ।

निदेशक,
पंचायती राज,
हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला

निलम्बन आदेश

धर्मशाला, 4 जुलाई, 1985

सं0 पी0 सी0 एच0-के0 जी0 आर0-3129-32.—क्योंकि श्री बिहारी लाल उप-प्रधान, ग्राम पंचायत दरौण (गगड़ही), विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा, ने मास 11/83 से 11/84 तक सभा निधि की राशि, जिसका पूर्ण ब्योरा कारण बताओ नोटिस संख्या पी0सी0एच0-के0 जी0आर0-411 दिनांक 21-1-85 में दिया गया है, निर्धारित सीमा से अधिक अपने पास रखी तथा इस प्रकार उन्होंने उप-प्रधान पद के नाते हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम, 1975 के नियम 6(8) की स्पष्ट उल्लंघना की है ।

क्योंकि उक्त प्रधान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अधीन कारण बताओ नोटिस दिया गया जिसका उत्तर उन्होंने 15 दिन के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी, देहरा के माध्यम से भेजना था परन्तु खण्ड विकास अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 19-3-85 के अनुसार प्रधान ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, जिससे स्पष्ट है कि उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप उन्हें स्वीकार है तथा उन्होंने अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है ।

अतः मैं, हीरा लाल नौशाद, अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त श्री बिहारी लाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत दरीण, विकास खण्ड देहरा को उप-प्रधान पद से निलम्बित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि वह अपने पद का कार्यभार तुरन्त भी शम्भू राम, पंच, ग्राम पंचायत दरीण को सौंप दें । निलम्बन काल में उन्हें उक्त ग्राम पंचायत से सम्बन्धित किसी प्रकार के कार्य में भाग लेने से भी वंचित किया जाता है ।

हीरा लाल नौशाद,
अतिरिक्त उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27/28 जुलाई, 1985

संख्या लोक निर्माण (ख) 25-27/81 —हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 14) की धारा 28 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्ज सुपरिन्टैन्डैन्स कम्पनी आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटिड प्रयोगशाला, नई दिल्ली को उक्त अधिनियम के अधीन राज्य सरकार वायु प्रयोगशाला के कृत्यों को निष्पादन करने के लिए तुरन्त हिमाचल प्रदेश की राज्य प्रयोगशाला विनिर्दिष्ट करते हैं ।

बी० बी० टण्डन,
आयुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of H.P. Government notification No. Lok-Nirman (kha)*-25-27/81, *dated* 27-6-1985 *as required under Article* 348(3) *of the Constitution of India*].

Shimla-2, the 27/28*th June*, 1985

No. Lok Nirman (Kha)25-27/81.—In exercise of the powers conferred by clause (*b*) of sub-section(1) of section 28 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to specify M/s Superintendence Company of India (P) Ltd. Laboratory, New Delhi as State Air Laboratory of Himachal Pradesh to carry out the functions of the State Air Laboratory under the said Act with immediate effect.

B. B. TANDON,
Commissioner-cum-Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।